राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मालाराम बनाम सरकार

303/2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । पैरोकार सरकार की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । पत्रावली अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 20/04/2026 को पेश हो।	
20/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पैरोकार सरकार की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/05/2026 को पेश हो।	
07/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम जामडोली तहसील जयपुर में भूमि खसरा नम्बर पुरातन 119/1/1/4 व 80/1/1/1//1/2 रकबा 60 बीघा स्थित थी, जिसके वर्तमान बन्दोबस्त में खसरा नं. 132, मिन 215, 216, 213, 215 व 214 कायम किये गये। तत्कालीन जयपुर नरेश ने भूतपूर्व सैनिकों को विस्थापित करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की तथा उसकी सिफारिश के अनुसार निर्णय दिया गया, जिसका आदेश 56, 5 सी दिनांक 29.03.44 जयपुर रियासत के गजट वाउचर सं. एल.एक्स. ॥ क्रमांक 5393 पर दिनांक 01.06.44 को प्रकाशित किया गया। उक्त आदेश में यह प्रावधित किया गया था, कि एन.सी.ओ. व सिपाहियों को 60 बीघा व ऑफीसर्स को 80 बीघा व राजकीय अधिकारियों को जो कमीशन प्राप्त थे, उन्हें 120 बीघा की दर से भूमि दिये जाने का प्रावधान रखा गया। उक्त आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था, कि प्रथम दस वर्ष तक भूमि कर से मुक्त रखा गया एवं तत्पश्चात सामान्य लगान की दर का आधा लगान देय होगा तथा काश्तकार की मृत्यु हो जाने पर उसके लड़के अथवा लड़के के अभाव में पोते से सामान्य लगान की आधी दर से देय होगी और तत्पश्चात सामान्य लगान की दर से देय होगी। इस प्रकार उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत जो भूमि प्रदान की गयी थी, माफी की भूमि न होकर खातेदारी की भूमि थी तथा आवंटन होने की तिथि के पूर्व जयपुर टीनेंसी एक्ट के प्रावधानों के कारण भूमि प्रदान किये जाने की तिथि को ही खातेदार हो जाते थे। उक्त प्रावधानों के अनुसार वादीगण को भी 60 बीघा भूमि प्रदान की गयी, जिसका पट्टा दिनांक 16.12.46 को जारी किया गया, जिसका खसरा नम्बर 119/1/1/4 व 80/1/1/1//1/2 रकथा 60 बीघा था। उक्त आवंटन तथा पट्टा दिये जाने के बाद पटवारी हल्का ने भूमि का कब्जा वादी को मौके पर संभला दिया तथा मौके पर कब्जा लेने के बाद वादी ने भूमि के कुछ भाग की नौ तौड़	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मालाराम बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	303/2010	

कर काबिल काश्त बनायी तथा शेष भूमि पर घास, पाला पूली से फायदा उठाने लगा। कब्जा के आधार पर गिरदावरी में वादी का नाम अंकित किया गया एवं 2003 ल. 2007 की तथा 2008 ला 2011 की जमाबन्दी में वादी का नाम खातेदार काश्त की हैसीयत से अंकित किया गया। इस प्रकार वादी भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार हो गया तथा इसका लगान भी वादी ने तहसील जयपुर में जमा कराया है। आर.टी. एक्ट 1955 के लागू होने की तिथि को बतौर खातेदार काबिज होने के कारण धारा 15 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत खातेदार हो गये। वादी सेना से अवकाश लेने के बाद अपने मूल निवास सीकर भी आता रहा है तथा अपनी कृषि भूमि को भी संभालता रहा है, किन्तु वर्तमान बन्दोबस्त के बाद आज तक भी वादी को भूमि से कब्जा हटाने को किसी ने भी नहीं कहा अतः वादी को भूमि के सिवाय चक अंकित किये जाने की जानकारी नहीं हो सकी। फरवरी 1987 में वादी जब अपनी जमीन पर लेवलिंग के सिलसिले में गया तो गाँव वालों ने बताया कि यह भूमि उसकी खातेदारी में नही है, बल्कि चारागाह दर्ज हो गयी है, तो वादी ने तहसील कार्यालय से राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की तथा वकील को दिखाने पर उसे इस तथ्य की जानकारी मिली कि वादी की खातेदारी की भूमि को चारागाह में गलत रूप से अंकित कर दिया गया है। सैटिलमेंट विभाग को वादी की खातेदारी भूमि को चारागाह भूमि में अंकित करने का कोई अधिकार नहीं था। यह कार्यवाही सर्वथा अवैध तथा वादी के अधिकारों के मुकाबले प्रभावहीन है। उक्त इन्द्राजात से वादी के अधिकारों का हनन हुआ है। अतः वादी के लिये यह आवश्यक हुआ कि वह उक्त गलत इन्द्राजात को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही करें। वादी को भूमि दिये जाने के पश्चात जयपुर टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार हो गया तथा आर.टी. एक्ट के लागू होने पर धारा 15 आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत भी खातेदार काश्तकार हो गया, परन्तु बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त के अधिकारियों नें संवत् 2015 लगायत 2044 की खतौनी बन्दोबस्त तैयार क ने समय भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत साबिक खसरा नम्बर 110/1/1/4 व 80/1/1/1//1/2 के नये नम्बरान में से ख.नं. 132 मिन, 215, 216, 213 को सिवायचक अंकित कर दिया गया, जो समस्त कार्यवाही वादी को नोटिस दिये बिना किये जाने के कारण आरम्भ से ही शून्य व अवैध है। वादी ने इसी आधार पर प्रतिवादी को धारा 80 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिवत नोटिस दिनांक 14.01.87 को दिया, जो उन्हें 20.01.87 को प्राप्त हो गया। नोटिस मिलने के दो माह की अवधी समाप्त हो जाने पर भी इस स बन्ध में कोई कार्यवाही न करने से यही वाद हेतु उत्पन्न होकर वाद अधिकार घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। चूँकि प्रतिवादी वादी के कब्जे में भी हस्तक्षेप करने लगा है, अतः वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मालाराम बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	303/2010	

स्थाई निषधाज्ञा का भी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत अधिकार घोषणा डिक्री किया जाकर वादी को वाद के मद नं. 1 व 5 में अंकित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा चारागाह के इन्द्राज को वादी के अधिकारों के मुकाबले प्रभावहीन माना जावे व प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न करें तथा उसे भूमि से बेदखल नहीं करें और न ही भूमि अन्य किसी को आवंटित करें। खर्चा वाद दिलाया जावे। अन्य सहायता जो वादी के हित में कानून के अन्तर्गत हो, दिलाई जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने पृथक-पृथक जवाब वाद पेश किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कारम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 17/05/2010 पारित करते हुये वादी का वादा साबित नही होना धारित करते हुये ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूतों को तनकीवार विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से वाद को ख़ारिज किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/05/2010 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |